केदार बनाम मोहरपाली वगैरा
द० T.I.

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12-3-2020 वकील उभयपक्ष उप०। T.I. प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। (हस्ताक्षर) उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	

न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर०ए०एस०, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
/2011	24.10.2011	12-3-2020

[illegible] पुत्र देवपाल, मीना निवासी कोटडी तह0 गंगापुर सिटी ——प्रार्थी

बनाम

1. मोहरपाली पत्नी भरतलाल, मीना निवासी कोटडी तह0 गंगापुर सिटी
2. बहादुरसिंह पुत्र भरतलाल, मीना निवासी कोटडी तह0 गंगापुर सिटी
3. हुकमसिंह पुत्र भरतलाल, मीना निवासी कोटडी तह0 गंगापुर सिटी
4. मनराज पुत्र भरतलाल, मीना निवासी कोटडी तह0 गंगापुर सिटी
5. धनराज पुत्र भरतलाल, मीना निवासी कोटडी तह0 गंगापुर सिटी
6. लैण्ड होल्डर सरकार जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री प्रकाशचंद शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से

श्री बाबूलाल गुप्ता, एडवोकेट अप्रार्थी न0 1 ता 5 की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि भूमि ख0न0 102 रकबा 19 एयर, ख0न0 103 रकबा 24 एयर, ख0न0 105 रकबा 40 एयर, ख0न0 106 रकबा 45 एयर, ख0न0 107 रकबा 43 एयर, ख0न0 116 रकबा 9 एयर, ख0न0 121 रकबा 35 एयर, ख0न0 122 रकबा 25 एयर, ख0न 123 रकबा 28 एयर, ख0न0 182 रकबा 31 एयर, ख0न0 183 रकबा 24 एयर, ख0न0 184 रकबा 15 एयर, ख0न0 187 रकबा 10 एयर, ख0न0 428 रकबा 61 एयर कुल रकबा 4.09 है0 ग्राम कोटडी मे स्थित है। यह भूमि जमाबंदी संवत 2069—2072 मे मोहरपाल पुत्र रामदेव हिस्सा 1/4, [illegible], टीकाराम, घनश्याम पिता कंवरपाल, मु0 तुलसा बेवा कंवरपाल [illegible] हि0 1/4, शिवलाल पुत्र मोडया हिस्सा 1/8 बिनारहन, कल्ला पुत्र रामदेव हिस्सा 1/4, धनराज, बहादुरसिंह, हुकमसिंह, मनराज नाबालिग पिता स्व. भरतलाल, मु0 मोहरपाली बेवा स्व. भरतलाल हिस्सा 1/8 संरक्षक माता [illegible] सहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा गंगापुर सिटी मुर्तहन [illegible] मीना के नाम से दर्ज है। खातेदार कल्ला पुत्र रामदेव, प्रार्थी व अप्रार्थी [illegible] 5 के सगे बाबा व गैरसायल संख्या 1 के चचिया ससुर लगते थे। कल्ला पुत्र रामदेव अविवाहित था जिसके कोई संतान नही थी। हमेशा से ही प्रार्थी व गैरसायल संख्या 2 ता 5 के पिता भरतलाल के साथ संयुक्त रूप से रहते रहे व भूमि संयुक्त रूप से काश्त करते रहे। भरतलाल का स्वर्गवास हो जाने के बाद कभी प्रार्थी के साथ रहते व कभी अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के साथ रहते। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की सेवा से प्रसन्न होकर स्व0 कल्ला पुत्र रामदेव ने अपने जीवनकाल मे अपनी खातेदारी भूमि मे दर्ज हिस्सा 1/4 को प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के मध्य बंटवारा कर हिस्सा 1/2 भूमि को प्रार्थी का संभला दी व हिस्सा 1/2 भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 ता 5

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

कल्ला दी। इस सम्बन्ध मे एक लिखाबट दिनांक 3.7.06 को 100 रूपये के स्टाम्प पर रतनजीलाल मीना निवासी कोटडी से लिखवा दी और इस पर अपने निशानी कर दी। तभी से स्व0 कल्ला के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 भूमि मे से हिस्सा 1/2 भूमि पर प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है व हिस्सा 1/2 भूमि पर अप्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। खातेदार कल्ला का स्वर्गवास दिनांक 3.9.17 को वमुकाम कोटडी हो गया। कल्ला के स्वर्गवास से करीब 6 माह पूर्व से कल्ला की तबियत ज्यादा खराब चल रही थी, चलने फिरने की हालत नही थी, बोलना भी बंद था। मोहरपाली पत्नी भरतलाल चालाक किस्म की औरत है। उसने बदयान्तिपूर्वक कल्ला के नाम की खातेदारी भूमि को हडपने की नियत से कल्ला के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 की सम्पूर्ण भूमि का पंजीयन नायब तहसीलदार तलावडा के कार्यालय मे दिनांक 26.5.17 को बिना कोई विक्रय मूल्य अदा किये अपने व अपने पुत्रो के हक मे करवा लिया। वह एक फर्जी व कूटरचित दस्तावेज है। जिस पर स्वयं कल्ला की निशानी न होकर किसी दीगर व्यक्ति की निशानी है व कल्ला का पुराना फोटो चस्पा कर दिया है। कल्ला स्वयं कभी उपपंजीयक तलावडा के कार्यालय मे उपस्थित नही हुआ। कल्ला के नाम से विक्रय पत्र निष्पादन हेतु दिनांक 25.5.17 को जो स्टाम्प खरीदे गये है उन पर स्वयं कल्ला की निशानी नहीं होकर किसी दीगर व्यक्ति की निशानी है। उपरोक्त कूटरचित दस्तावेज के आधार पर गैरसायलान ने अपने हक मे नामान्तकरण भी तस्दीक करवा लिया है जो प्रार्थी के विरूद्ध बेअसर है। लिखावट दिनांक 3.7.2006 के अनुसार प्रार्थी मौके पर स्व0 कल्ला की 1/4 हिस्से की भूमि में 1/2 हिस्से की भूमि को काश्त करता आ रहा है। दिनांक 7.9.2017 को प्रार्थी राजस्व रिकार्ड की जानकारी हेतु पटवारी हलका के पास गया तो उसने बताया कि अब कल्ला के नाम कोई भूमि दर्ज नहीं है। कल्ला के नाम की भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। इस पर प्रार्थी ने नकल प्राप्त की जो प्रार्थी को दिनांक 11.9.2017 को प्राप्त हुई। स्व0 कल्ला की भूमि के 1/2 हिस्से में प्रार्थी द्वारा बोई हुई फसल को काटने जब प्रार्थी दिनांक 20.9.2017 को भूमि पर गया तो अप्रार्थीगण हाथो में लाठी डंडे लेकर आ गए एवं प्रार्थी को फसल काटने से मना किया। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा हुक्मनामा दावा इस अमर से पाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि ख0न0 102 रकबा 19 एयर, ख0न0 103 रकबा 24 एयर, ख0न0 105 रकबा 40 एयर, ख0न0 106 रकबा 45 एयर, ख0न0 107 रकबा 43 एयर, ख0न0 116 रकबा 9 एयर, ख0न0 121 रकबा 35 एयर, ख0न0 122 रकबा 25 एयर, ख0न 123 रकबा 28 एयर, ख0न0 182 रकबा 31 एयर, ख0न0 183 रकबा 24 एयर, ख0न0 184 रकबा 15 एयर, ख0न0 187 रकबा 10 एयर, ख0न0 428 रकबा [illegible] एयर कुल रकबा 4.09 है0 ग्राम कोटडी में खातेदार कल्ला ने मौके पर प्रार्थी को कब्जा संभलाया है उस भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में वे प्रार्थी को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा भूमि को किसी दीगर

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

[illegible] को रहन वय नहीं करें। अप्रार्थी संख्या 6 को आदेश दिया जावे कि वह [illegible] भूमि के किसी भी तरह के विक्रयपत्र या अन्य दस्तावेज को पंजीकृत नहीं करें, रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि [illegible] में वादग्रस्त भूमि की खातेदारी मोहरपाल पुत्र रामदेव हिस्सा 1/4, [illegible],टीकाराम,घनश्याम पिसरान कंवरपाल, मु0तुलसा बेवा कंवरपाल [illegible] बराबर हिस्सा 1/4, मोहरपाली पत्नी भरतलाल हिस्सा 1/4 बिला [illegible], शिवलाल पुत्र मोडया हिस्सा 1/8 राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय [illegible] बैंक शाखा गंगापुर सिटी, धनराज, बहादुरसिंह, हुकमसिंह, मनराज [illegible] भरतलाल, मोहरपाली पत्नी स्वर्गीय भरतलाल हिस्सा 1/8 जाति मीना [illegible] देह खातेदार के नाम दर्ज है। मोहरपाल की दावा करने से पूर्व ही [illegible] हो चुकी है। दावे में उसके वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए [illegible] चलने योग्य नहीं है। स्व0 कल्ला पुत्र रामदेव प्रार्थी केदार का बाबा नहीं [illegible] काका लगता था एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 का बाबा लगता था। [illegible] पुत्र रामदेव कभी प्रार्थी केदार के पास नहीं रहा और न ही उसने [illegible] की कोई सेवा सुश्रषा की है। उल्लेखनीय है कि कल्ला पुत्र रामदेव [illegible] थे तो फिर कल्ला द्वारा अकेले देवपाल के लडकों को अपने हिस्से [illegible] जमीन देने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है क्योंकि उसके दो भाई [illegible], कंवरपाल व उनकी सन्तान मौजूद है। प्रार्थी ने कभी कल्ला की [illegible] को कास्त नहीं किया है। प्रार्थी ने स्वयं के हिस्से की जमीन शिवलाल [illegible] मोडया मीना निवासी कोटडी को बेच दी है । इस प्रकार प्रार्थी के पास [illegible] संयुक्त खातेदारी में कोई हिस्सा नहीं रहा है। वह जबरन अप्रार्थीगण की [illegible] को हडपना चाहता है इसलिए उसने गलत तथ्य लिखते हुए एवं कल्ला [illegible] जमीन में अपना 1/2 हिस्सा बताते हुए फर्जी लिखावट रामजीलाल मीना [illegible] कराई है और उस पर कल्ला की फर्जी अंगूठा निशानी की है। उक्त [illegible] कानूनन कोई मायने नहीं रखती है। वह अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्प्ड [illegible] कारण पढे जाने योग्य भी नहीं है तथा इस फर्जी लिखावट के आधार [illegible] को कोई अधिकार भी उत्पन्न नहीं होते हैं। कल्ला कभी भी बीमार [illegible] और न ही उसका बोलना बन्द हुआ। कल्ला पुत्र रामदेव मीना ने [illegible] 1/4 हिस्से की भूमि राजीखुशी रू0 400000/— में मोहरपाली को [illegible] की है एवं विक्रय की राशि नकद प्राप्तकी है एवं भूमि विक्रय के बाद [illegible] हिस्से की भूमि पर कब्जा मोहरपाली का करवाया है। विक्रयपत्र श्री [illegible] शर्मा डीडराईटर से तहरीर व तकमील करवा कर उस पर कल्ला ने [illegible] अंगूठा निशानी की है तथा स्वयं उपपंजीयक तलावडा के यहां उपस्थित [illegible] दिनांक 12.6.2017 को पंजीकृत करवाया है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र [illegible] आधार पर ही भूमि अप्रार्थी मोहरपाली के नाम दर्ज हुई है। प्रार्थी ने गलत [illegible] लिखते हुए दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है जो

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

[illegible] योग्य नहीं है। वादग्रस्त भूमि में अब प्रार्थी केदार सहखातेदार भी नहीं है क्योंकि उसने अपने हिस्से की भूमि शिवलाल पुत्र मोडया मीना को बेच दी है व शिवलाल का नाम खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी अपने भाई की विधवा [illegible] व उसके बच्चों को जबरन परेशान करना चाहता है इसलिए उसने [illegible] दावा प्रस्तुत किया है। प्रार्थी बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति है। [illegible] साजिश के तहत रामजीलाल मीना से तथाकथित लिखावट फर्जी तरीके [illegible] करवाकर कल्ला की अंगूठा निशानी फर्जी लगाई है जो कानूनन किसी [illegible] से मान्य नहीं है। अप्रार्थीगण के हक में हुई रजिस्ट्री की जानकारी [illegible] शुरू से ही रही है। यदि इस पर प्रार्थी को कोई आपत्ती थी तो वह [illegible] ही कर सकता था परन्तुउसने अब कल्ला के मरने के बाद [illegible] को परेशान करने के लिए गलत बातें लिखते हुए यह दावा प्रस्तुत [illegible] रजिस्टर्ड विक्रयपत्र कोई कूटरचित दस्तावेज नहीं है। भूमि की [illegible] के नाम सही प्रकार से हुई है। भूमि पर कब्जा काश्त [illegible] का है। जबाब के विशेष विवरण में अप्रार्थीगण ने अंकित किया है [illegible] बहुत चालाक किस्म का व्यक्ति है। भूमि साबिक ख0नं0 116 [illegible] बीघा 12 विस्वा के भाग ख0नं0 119 रकबा 52 एयर को गलती से [illegible] अधिकारियों ने भू–प्रबन्ध के दौरान रामराज, रामप्रसाद, बत्तीलाल, [illegible] किशोर, रामसहाय मीना निवासी कोटडी के नाम लगा दी [illegible] हेतु प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने संयुक्त रूप से इसी न्यायालय में [illegible] को दावा उनवानी केदार वगैरा बनाम रामराज वगैरा किया [illegible] एवं अप्रार्थीगण ने संयुक्त रूप से सारा खर्चा किया लेकिन [illegible] चालाकी से ख0नं0 119 रकबा 52 एयर को रामराज, [illegible] बत्तीलाल,तोफान्या, दयाराम, किशोर व रामसहाय के पुत्रों से [illegible] अपने नाम लगवा लिया जबकि ख0नं0 119 रकबा 52 एयर में [illegible] का भी बराबर का हिस्सा है। अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि में अपना [illegible] देने के लिए प्रार्थी को कहा तो उसके मन में बेईमानी आ गई [illegible] भूमि देने के बजाय कल्ला पुत्र रामदेव के मर जाने के बाद यह [illegible] प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है जो खारिज होने योग्य है। [illegible] प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का टी0आई0 प्रार्थना पत्र खारिज [illegible]

[illegible] पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल [illegible] 2069 से 2072, फोटोकॉपी लिखावट दिनांक 3.7.2006 प्रस्तुत की [illegible]

[illegible] के समर्थन मे अप्रार्थीगण ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2073 [illegible] फोटोकोपी नकल नामान्तरकरण दिनांक 7.7.2017, फोटोकोपी नकल [illegible] 2069 से 2072, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2061 से 2064 [illegible]

[illegible] विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

उप जिला कलेक[illegible]
गंगापुर सिटी (स0मा[illegible]

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि कल्ला पुत्र रामदेव हिस्सा 1/4 की खातेदारी की भूमि रही है। कल्ला पुत्र रामदेव अकेला था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह प्रार्थी व प्रार्थी के भाई भरतलाल के पास रहता था। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर कल्ला ने अपने हिस्से की भूमि में आधी भूमि प्रार्थी को व आधी भूमि अप्रार्थीगण को दे दी जिस पर इसी अनुसार प्रार्थी काश्त करता आ रहा है। इसकी एक लिखावट भी दिनांक 3.7.2006 को कल्ला पुत्र रामदेव ने कर दी जिसकी छायाप्रति पत्रावली में प्रस्तुत की हुई है। बदनीयती से अप्रार्थीगण ने भूमि की फर्जी व कूटरचित रजिस्ट्री अपने नाम करा ली व इस फर्जी व कूटरचित रजिस्ट्री के आधार पर कल्ला पुत्र रामदेव की भूमि का नामान्तरकरण भी अप्रार्थीगण ने अपने नाम करा लिया परन्तु लिखावट दिनांक 3.7.2006 के अनुसार प्रार्थी का कल्ला के हिस्से की आधी भूमि पर आज भी कब्जा काश्त है। अब अप्रार्थीगण गलत इन्द्राज की आड में प्रार्थी को भूमि से बेदखल करने पर उतारू है इसलिए इन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर यह मुकदमा प्रस्तुत किया है। कल्ला पुत्र रामदेव की भूमि पर प्रार्थी का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। कल्ला ने अपने 1/4 हिस्से की भूमि सही प्रकार से अप्रार्थीगण को बेची है तब इस पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है। भूमि अप्रार्थीगण के नाम ही दर्ज है। प्रार्थी जिस लिखावट के आधार पर भूमि पर अपना कब्जा होना बता रहा है वह लिखावट फर्जी तैयार की गई है एवं कानूनन इस लिखावट से प्रार्थी कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता हैं । प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर दावा प्रस्तुत किया है जो खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के साथ फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 जो प्रस्तुत की है उसमें कल्ला पुत्र रामदेव के नाम हिस्सा 1/4 भूमि की खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी का कहना है कि कल्ला पुत्र रामदेव ने प्रार्थी की सेवा से प्रसन्न होकर उसके 1/4 हिस्से की भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि प्रार्थी को दे दी एवं इसकी एक लिखावट रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर दिनांक 3.7.2006 को लिख दी है। लिखावट की छायाप्रति प्रार्थी ने प्रस्तुत की है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार कल्ला पुत्र रामदेव ने उसके हिस्से की भूमि का अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा बेचान किया है जिसके आधार पर भूमि वर्तमान में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है।

अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति को देखना होता है। प्रार्थी अपना अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र लिखावट दिनांक 3.7.2006 के आधार पर लाया है। यह लिखावट अनरजिस्टर्ड है एवं अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखी हुई है।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के स्तर पर इस लिखावट के आधार पर प्रार्थी कोई अधिकार वादग्रस्त भूमि में नहीं रखता है। दूसरी ओर अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। इनके आधार पर प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के ही पक्ष में है। भूमि पर कब्जे को लेकर प्रार्थी का कहना है कि उसका भूमि पर कब्जा काश्त है परन्तु उसने वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा प्रमाणित नहीं किया है जबकि खातेदार होने के नाते भूमि पर कब्जा अप्रार्थीगण का ही माना जावेगा। इस तरह सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में ही जाता है। उपरोक्त दोनों बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में होने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित किया जाता है तो इससे अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थीगण को ही होगी। इसलिए यह बिन्दु भी अप्रार्थीगण के पक्ष में ही जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने के कारण प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल दावा के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 12-3-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2020.03.16 14:05:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: